

ई-मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : ०९ जनवरी, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु मानचित्र अनुज्ञा एवं ऊँचाई में छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित कराने, राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और पारम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा का "इष्टतम ऊर्जा मिश्रण" प्राप्त करने, सौर ऊर्जा उत्पादन और भण्डारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के अनुकूल वातावरण प्रदान करने, अक्षय ऊर्जा कौशल वृद्धि और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए मानव संसाधन विकास करने तथा समस्त ऊर्जा उपभोक्ताओं के मध्य सौर ऊर्जा तकनीकी के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-1335/87-755-अति.ऊ.स्रो.वि./2022 दिनांक 23.11.2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022" का प्रख्यापन किया गया है।

2- अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1410/87-755-अति.ऊ.स्रो.वि./2022 दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्रस्तर-7.3 में उल्लिखित प्राविधानों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन अभिकरणों में लागू कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के उक्त प्राविधान निम्नवत् हैं :-

प्रस्तर-7.3 (सी)-भवन उपविधि में उपलब्ध प्राविधान के अनुसार रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु अनुज्ञा से छूट प्राप्त है तथा रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छत पर आवश्यक संरचनाएं जो 4.5 मीटर से अधिक ऊँचे न हो, को भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

प्रस्तर-7.3 (डी)-बहुमंजिला भवनों, आवासीय परिसर, वाणिज्यिक भवनों आदि के प्रकरण

I/259115/2023

में, सोलर संयोजित रूफटॉप सिस्टम की स्थापना कॉमन फौसिलिटी क्षेत्र हेतु की जा सकेगी। यह प्रणाली सोसायटी द्वारा धारित कॉमन मीटर कनेक्शन, बल्क कनेक्शन धारी तथा कॉमन फौसिलिटी केंद्र के कनेक्शन हेतु होगी और किसी भी प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परिसर में आवास कर रहे निवासियों के न्यायोचित अधिकार को आधित नहीं किया जा रहा है।

3- उल्लेखनीय है कि प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-3 के प्रस्तर-3.1.1 'अनुज्ञा से छूट' शीर्षक के अधीन उन कार्यों की सूची दी गई है, जिसके लिए निर्माण अनुज्ञा आवश्यक नहीं है, जिसके उप प्रस्तर-(XX) में "वैकल्पिक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण" सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.5.7 में ऊँचाई का अपवाद शीर्षक के अन्तर्गत उन संरचनाओं का विवरण दिया गया है, जो भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं की जाएंगी तथा इस प्रस्तर के उप प्रस्तर-(I) में "वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाएं" सम्मिलित हैं।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों के अनुपालन में सोलर संयोजित रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के उपरोक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। बहुमंजिला भवनों, आवासीय परिसर, वाणिज्यिक भवनों आदि के प्रकरण में मानचित्र की निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि परिसर में आवास कर रहे निवासियों के न्यायोचित अधिकार बाधित न हो।

भवदीय,
Signed by नितिन रमेश
गोकर्ण
Date: 09-01-2023 16:27:38
Reason: (नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या:-आई/259115 (1)/तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव